

अपील सं. ३९/१७ बाबूनाथ ५/३ सरकार

24.9.19

अपीलांत क उसके आविवक्ता की बार-बार आवजो लगवई गई। मगर काम वे गैर शक्ति है। अतः अपीलांत की अपील अदालत हाजरी क अदालत में खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुभार हो। L-C का रिकॉर्ड लीटाया जाके। नंबर से कम होकर दालिज दफ्तार हो।



  
अपर कलक्टर, नागौर